भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1063
दिनांक 25 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

पोषण ट्रैकर डेटा

1063. **श्री राहुल कस्वां:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या एनएफएचएस-5 और पोषण ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार, भारत के विभिन्न राज्यों में बाल कुपोषण और एनीमिया के उच्च स्तर दर्ज किए जा रहे हैं, विशेषकर राजस्थान में जो सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक है;
(ख) यदि हां, तो राजस्थान के मई 2025 तक के जिलावार आंकडों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार का किस प्रकार मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत अत्यधिक प्रभावित जिलों में आंगनवाड़ी सेवाओं और पोषण वितरण को मजबूत करने का प्रस्ताव है;
(घ) क्या राजस्थान के आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यात्मक बुनियादी ढांचे, वजन मापने वाले उपकरणों या रियल टाइम डिजिटल ट्रैकिंग उपकरणों का अभाव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार ने उक्त राज्य में किशोरियों और बच्चों के लिए जिलावार कोई लक्षित पहल शुरू की है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1992-93 से संचालित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के विभिन्न दौरे ने भी पूरे भारत में बच्चों में कुपोषण संकेतकों में सुधार दिखाया है। एनएफएचएस -1 से एनएफएचएस -5 तक बच्चों के लिए इन संकेतकों का विवरण नीचे दिया गया है:

एनएफएचएस सर्वेक्षण	ठिगने बच्चों का %	अल्पवजनी बच्चों का %	कमजोर बच्चों का %
एनएफएचएस 1 (1992-93)*	52	53.4	17.5
एनएफएचएस -2 (1998-99)**	45.5	47	15.5
एनएफएचएस -3 (2005-6)***	48.0	42.5	19.8
एनएफएचएस -4 (2015-16)***	38.4	35.8	21.0
एनएफएचएस -5 (2019-21)***	35.5	32.1	19.3

* 4 वर्ष से कम
** 3 वर्ष से कम
*** 5 वर्ष से कम

उपर्युक्त तालिका प्रासंगिक समय पर 0-3 वर्ष, 0-4 वर्ष और 0-5 वर्ष के आयु के सभी बच्चों में कुपोषण संकेतकों की तस्वीर प्रस्तुत करती है।

वर्ष 2021 के लिए भारत में 5 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनुमानित जनसंख्या 13.75 करोड़ है (स्रोत: भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)। तथापि जून, 2025 के आंकड़ों के अनुसार, 5 वर्ष तक के केवल 7.36 करोड़ बच्चे ही आंगनवाड़ी केंद्र में नामांकित हैं और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत हैं। इनमें से 7 करोड़ बच्चों की कद और वजन विकास मापदंडों पर मापी गई। इनमें से 37.07% बच्चे ठिगने पाए गए, 15.93 % बच्चे अल्प वजन वाले और 5.46% बच्चे कमजोर पाए गए।

इसके अलावा, वर्ष 2021 के लिए भारत में 6 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनुमानित जनसंख्या 16.1 करोड़ है। पोषण ट्रैकर के जून, 2025 के आंकड़ों के अनुसार, 8.61 करोड़ बच्चे (0-6 वर्ष) आंगनवाड़ियों में नामांकित हैं जिनमें से 8.19 करोड़ बच्चों की कद और

वजन विकास मापदंडों पर माप की गई है। इनमें से 35.91% बच्चे (0-6 वर्ष) ठिगने और 16.50 % बच्चे (0-6 वर्ष) अल्प वजन के पाए गए हैं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ठिगनापन (%)		दुबलापन (%)		कम वजन (%)	
	पोषण ट्रैकर जून 2025	एनएचएफएस 5 (2019-21)	पोषण ट्रैकर जून 2025	एनएचएफएस 5 (2019-21)	पोषण ट्रैकर जून 2025	एनएचएफएस 5 (2019-21)
राजस्थान	36.10	31.8	6.49	16.8	17.57	27.6

उपरोक्त एनएफएचएस 5 डेटा और पोषण ट्रैकर जून 2025 डेटा के विश्लेषण से राजस्थान राज्य में कमज़ोर और कम वजन वाले बच्चों में सुधार दिखाई देता है।

पोषण ट्रैकर डेटा के अनुसार राजस्थान में मई, 2025 तक ठिगनापन, दुबलापन और कम वजन के बारे में जिला-वार आंकड़े अनुलग्नक-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ): 15वें वित्त आयोग के तहत, कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की आयु) के लिए योजना जैसे विभिन्न घटकों को सक्षम आंगनवाड़ी तथा पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) नामक व्यापक मिशन के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित मिशन है जिसके विभिन्न कार्यकलापों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। यह मिशन एक सार्वभौमिक स्व-चयनित व्यापक योजना है, जो राजस्थान सहित सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है।

पोषण केवल भोजन करने तक सीमित नहीं है, इसके लिए उचित पाचन, अवशोषण और चयापचय (मेटाबोलिज्म) की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया स्वच्छता, शिक्षा तथा स्वच्छ पेयजल जैसे कारकों से प्रभावित होती है। चूंकि कुपोषण के लिए भोजन, स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता और शिक्षा को शामिल करते हुए- बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, इसलिए कुपोषण के मुद्दे का प्रभावी ढंग से समाधान करना महत्वपूर्ण है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 18 मंत्रालयों/विभागों बीच परस्पर तालमेल (क्रॉस कटिंग) स्थापित करके कुपोषण की चुनौती का समाधान किया जा रहा है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और पक्ष समर्थन जैसे कार्यकलापों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने तथा स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती एवं प्रतिरक्षा में सुधार के लिए एक नई कार्यनीति बनाई गई है। इसमें मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) / मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि कुपोषण, ठिगनेपन, रक्ताल्पता (एनीमिया) और अल्प वजन की व्यापकता को कम किया जा सके।

इस मिशन के तहत बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण दिया जाता है ताकि जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर पीढ़ियों से चले आ रहे कुपोषण के चक्र को समाप्त किया जा सके। पूरक पोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को जनवरी 2023 में संशोधित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी-विशिष्ट थे, तथापि, संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में अधिक व्यापक और संतुलित हैं जिसमें गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान किए जाते है।

सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने तथा महिलाओं और बच्चों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कम से कम एक बार पका हुआ गर्म भोजन तथा टेक होम राशन तैयार करने के लिए मिलेट (श्री अन्न) के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से बच्चों में गंभीर कुपोषण की रोकथाम और उपचार तथा इससे जुड़ी रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) प्रोटोकॉल जारी किया है।

इस मिशन के तहत शुरू किए गए प्रमुख कार्यकलाप में से एक कार्यकलाप पोषण संबंधी पहलुओं पर लोगों को शिक्षित करने के लिए सामुदायिक जुड़ाव और जागरूकता एडवोकेसी करना है क्योंकि पोषण की अच्छी आदत को अपनाने के लिए व्यवहार

परिवर्तन के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर एवं मार्च-अप्रैल के महीनों में मनाए जाने वाले पोषण माह तथा पोषण पखवाड़ा के दौरान जन आंदोलन के तहत नियमित रूप से संवेदीकरण क्रियाकलापों का संचालन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रमों (सीबीई) ने पोषण पद्धतियों को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में कार्य किया है तथा सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को हर महीने दो समुदाय आधारित कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता होती है।

(ड़) और (च): आज तक, बेहतर पोषण वितरण और बचपन की देखरेख और शिक्षा प्रदान करने के लिए 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ियों के रूप में उन्नत करने की मंजूरी दी गई है। सक्षम आंगनवाड़ियों को पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों की तुलना में बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाता है जिसमें इंटरनेट / वाई-फाई कनेक्टिविटी, एलईडी स्क्रीन, वाटर प्यूरीफायर / आरओ मशीन की स्थापना और स्मार्ट लर्निंग उपकरण शामिल हैं।राजस्थान सरकार से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 187 सक्षम आंगनवाड़ी हैं।

सरकार ने सभी लघु आंगनवाड़ी केंद्र को एक कार्यकर्त्री और एक सहायिका के साथ एक पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्र में उन्नत करने का नीतिगत निर्णय भी लिया है ताकि मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत विभिन्न जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद मिल सके, जिसमें बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा से संबंधित जिम्मेदारियां भी शामिल हैं। अब तक 88,716 मिनी-आंगनवाड़ी केन्द्रों के उन्नयन हेतु स्वीकृति जारी की जा चुकी है। जून 2025 तक, राजस्थान राज्य में कुल 6204 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों को मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्रों में उन्नत किया जा चुका है।

मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, पर्यवेक्षकों और ब्लॉक समन्वयकों को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, पर्यवेक्षकों और ब्लॉक समन्वयकों को प्रति वर्ष 2,000 रुपये की डेटा रिचार्ज सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत राजस्थान राज्य में 65,943 स्मार्टफोन उपलब्ध हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा विकास मापदंडों की नियमित निगरानी की जाती है। राजस्थान राज्य सहित पूरे भारत के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को शिशु मीटर, स्टेडियोमीटर, वजन मापने वाली मशीन जैसे विकास निगरानी उपकरणों से सुसज्जित किया गया है।

किशोरियों के लिए योजना (एसएजी) को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत समाहित कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य पोषण घटक के अंतर्गत

किशोरियों (14-18 वर्ष) को उनके स्वास्थ्य और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार के लिए पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना और योजना के गैर-पोषण घटक के अंतर्गत उन्हें आईएफए अनुपूरण, स्वास्थ्य जाँच और रेफरल सेवा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा और कौशल विकास आदि प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत लक्षित लाभार्थी आकांक्षी जिलों और सभी पूर्वोत्तर राज्यों की 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियाँ हैं।

पिछले 5 वर्षों के दौरान एसएजी के अंतर्गत राजस्थान राज्य को जारी निधि की स्थिति इस प्रकार है:

(लाख रुपए)

राज्य का नाम	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26*
राजस्थान	0	0	0	988.66	137.93

* 30.06.2025 तक

अनुलग्नक-I

"पोषण ट्रैकर डेटा" के संबंध में श्री राहुल कस्वां द्वारा दिनांक 23.07.2025 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1063 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पोषण ट्रैकर डेटा से मई, 2025 के लिए राजस्थान में बच्चों (0-5 वर्ष) के कुपोषण संकेतकों का जिला-वार विवरण इस प्रकार है:

जिला	ठिगनेपन (%)	दुबलेपन (%)	कम वजन (%)
अजमेर	38.25	7.42	18.04
अलवर	42.31	6.98	19.77
बालोतरा	41.31	5.07	14.68
बांसवाड़ा	38.45	10.92	20.38
बारां	50.9	6.26	24.47
बाड़मेर	42.04	5.31	12.82
ब्यावर	36	8.55	20.69
भरतपुर	27.89	5	12.87
भीलवाड़ा	43.46	9.47	22.6
बीकानेर	36.78	3.5	12.97
बूंदी	39.82	7.88	23.83
चित्तौड़गढ़	33.04	7.98	16.97
चुरू	32.81	3.76	12.76
दौसा	25.44	8.42	17.99
डीग	34.6	5.79	14.7
धौलपुर	36.78	3.78	12.12
डीडवाना-कुचामन	26.53	4.73	11.5
डूंगरपुर	49.56	8.29	34.72
हनुमानगढ़	34.97	5.98	14.52
जयपुर	20.64	1.81	7.04
जैसलमेर	39.9	7.49	18.28
जालौर	44.76	7.38	16.12
झालावाड़	40.04	11.68	27.23
झुंझुनूं	27.71	4.03	10.72
जोधपुर	37.31	6.08	16.62
करौली	31.36	5.2	15.46

जिला	ठिगनेपन (%)	दुबलेपन (%)	कम वजन (%)
खैरथल-तिजारा	42.44	6.57	17.84
कोटा	35.5	4.83	16.83
कोटपूतली-बहरोड़	31.52	3.28	9.71
नागौर	21.01	3.75	8.29
पाली	38.14	8.07	17.02
फलोदी	44.73	6.6	18
प्रतापगढ़	46.69	6.82	27.89
राजसमंद	42.25	11.08	22.24
सलुम्बर	53.44	10.98	34.25
सवाई माधोपुर	42.73	5.91	22.49
सीकर	38.44	6.11	18.73
सिरोही	53.47	6.21	26.9
श्रीगंगानगर	23.58	2.62	8.63
टोंक	38.23	5.14	20.13
उदयपुर	36.51	8.9	22.55